भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2125
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

2125. श्री पी.सी. मोहन:
श्री रामचरण बोहरा:
श्री एस. वेंकटेशन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और विनियमों के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए अधिकृत आधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख): एफएसएसएआई के तहत रेफरल परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग): एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित निजी प्रयोगशालाओं के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े क्या है;

(घ): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए देश के प्रत्येक जिले में सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ): क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को उक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च): क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 22 के तहत आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों पर कोई विनियम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि उसने 224 खाद्य जांच प्रयोगशालाओं (जिसमें राज्य सरकार की 53 प्रयोगशालाएं, 145 निजी प्रयोगशालाएं और

प्राथमिक जांच के लिए 26 अन्य सरकारी प्रयोगशालाएं और रैफरल खाद्य नमूनों की जांच के लिए 20 प्रयोगशालाएं शामिल हैं) को मान्यता दी है/अधिसूचित किया है। कर्नाटक सहित अधिसूचित प्रयोगशालाओं की राज्यवार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(घ) और (ङ): एफएसएसएआई प्राथमिक खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं करता है बल्कि स्वैच्छिक आवेदनों के आधार पर प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है और अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई देश में मोबाइल खाद्य जांच प्रयोगशालाओं (एसओएफटीईएल) के प्रावधान सहित खाद्य जांच प्रणाली सुदृढ़ीकरण नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य खाद्य जांच प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) को बुनियादी प्रयोगशाला उपस्करों के साथ प्रयोगशाला स्थापित करने, उच्च स्तरीय उपस्करों की स्थापना और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। एफएसएसएआई ने जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायन, प्रमाणित संदर्भ सामग्री, उपभोग्य वस्तुओं और संविदा आधार पर जनशक्ति को कार्य पर रखने के लिए राज्यों को अनुदान भी प्रदान करता हैं। उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में है।.

दूरदराज के क्षेत्रों में भी बुनियादी जांच सुविधाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए एफएसएसएआई ने 254 मोबाइल खाद्य जांच प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है/ प्रयोगशालाएं प्रदान की है जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2019 से अब तक कुल 41 खाद्य जांच प्रयोगशाला (एफटीएल) परियोजनाएं पूरी की गई हैं और प्रत्येक एफटीएल परियोजना में औसतन 37 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। इसलिए, वर्ष 2019 के बाद से कुल 1517 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य जांच प्रयोगशालाओं के लिए 2019- 20 में 25.96 करोड़ रूपए, 2020-21 में 23.32 करोड़ रूपए और 2021-22 में 34.43 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

(च): आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों संबंधी प्रारूप विनियमों को अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया है।

अनुलग्नक I

देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या

क्रं.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 43 (1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं			एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43 (2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएं
		सरकारी		निजी	
		राज्य	अन्य संस्थाएं		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	1	6	1
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
4	असम	1	-	-	-
5	बिहार	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	1	-	-	-
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	-	-	1	-
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	1	17	-
10	गोवा	1	-	1	-
11	गुजरात	6	2	9	1
12	हरियाणा	2	1	17	1
13	हिमाचल प्रदेश	1	-	1	-
14	जम्मू और कश्मीर	2	-	-	-
15	झारखंड	-	-	1	-
16	कर्नाटक	-	-	15	2
17	केरल	3	6	6	2
18	लद्दाख	-	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	1	-	6	-
21	महाराष्ट्र	4	2	24	4
22	मणिपुर	1	-	-	-
23	मेघालय	1	-	-	-
24	मिजोरम	-	-	-	-
25	नागालैंड	1	-	-	-
26	ओडिशा	1	-	1	-
27	पुद्दुचेरी	-	-	-	-
28	पंजाब	1	1	2	1
29	राजस्थान	9	1	5	-
30	सिक्किम	-	-	-	-

31	तमिलनाडु	6	1	15	2
32	तेलंगाना	1	-	8	3
33	त्रिपुरा	1	1	-	-
34	उत्तर प्रदेश	5	4	5	2
35	उत्तराखंड	1	-	1	-
36	पश्चिम बंगाल	2	5	4	1
	कुल	**53**	**26**	**145**	**20**

अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सॉफटेल (एसओएफटीईएल) योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

करोड़ रुपये में

क्रं.सं.	घटक	**खाद्य जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य के तहत वर्ष 2016-17 से अब तक आवंटित की गई कुल निधियां**	**पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियां**			
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	अत्याधुनिक उपकरणों वाले एसएफटीएल का उन्नयन	474.03	89.18	1	6.8	28.99
2	बुनियादी कार्यात्मक एफटीएल का उन्नयन/ स्थापना	60.12	5	0	4.17	3.63
5	प्रत्येक प्रयोगशाला में 2 जनशक्ति का प्रावधान	7	0	0	0.58	1.47
6	एनएबीएल प्रत्यापन और एलआईएमएस प्रांरभ हेतु सहायता	8.6	0	0	0.46	0.54
7	त्वरित जांच किटें/ हैंड- हेल्ड उपकरणों	9	0	0	0.47	0.82